नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 56/2018 ग्रा.पं. पत्थरगढ़ी / सीमा [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		शाहपुरा प्रकरण मे पत्रावली नहीं है। अत: तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थी व अप्रार्थी [illegible] के द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तावित खातों के सम्बन्ध मे रिपोर्ट हेतु लिखा जावे कि प्रकरण मे सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी हो सकती है या नहीं। तदुपरान्त तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने हेतु पत्रावली आदेश दिनांक 8.8.19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	8/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार शाहपुरा की ओर से पटवारी का सीमाज्ञान रिपोर्ट 13/7/16 की छाया प्रति पेश की गई। जिस पर तथा पत्रावली का [illegible] पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र मौके व राजस्व रिकॉर्ड में सही होने तथा [illegible] नहीं होने पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आधार नहीं होने से खारिज किया जाकर अंतिम रूप से निस्तारित किया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

विशेष विवरण

...अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :- 56/2018

उनवान

...संजय जलान्धरा पुत्र बद्री प्रसाद जाति कुमावत निवासी शिल्पी कॉलोनी झोटवाडा जयपुर
2 नदनलाल पुत्र ओमकार जाति रैगर निवासी ग्राम नींदड वार्ड नं0 70 जयपुर
3. सुन्दरलाल पुत्र कजोडमल जाति बलाई निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

... गोरधन पुत्र देबू
... श्रीमती पतासी देवी पत्नि मुक्तिलाल
... शिवदयाल (मृत)
3/1 हरि, 3/2 नरेन्द्र पुत्रान शिवदयाल 3/3 श्रीमति मन्नी बेवा शिवदयाल
... बंशीधर (मृत)
4/1 मोहन पुत्र बंशीधर 4/2 गीता 4/3 सीमा 4/4 तारा 4/5 ममता पुत्रियान बंशीधर
4/6 श्रीमी नाथी बेवा बंशीधर
... जगदीश पुत्र बालू
समस्त जातिगण बलाई निवासी हनुतुपरा उर्फ रूड़ी तहसील शाहपुरा
...भगवान सहाय पुत्र कालू जाति जाट निवासी हनुतपुरा उर्फ रूड़ी तहसील शाहपुरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत सीमा निश्चयीकरण

आदेश दिनांक 08.08.2019

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 4014 रकबा 1.0616 है0, ख0नं0 4015 रकबा 0.86 है0, 4016 रकबा 1.03 है0, 4017 रकबा 1.00 है0, 4018/4335 रकबा 0.75 है0, 4026 रकबा 1.4423 है0 4079 रकबा 0.3464 है0, कुल किता 7 रकबा 6.4903 है0 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसमें एग्रो प्रोसेस स्थापित होकर चालू है । प्रार्थीगण के उक्त एग्रो प्रोसेस भूमि के दक्षिणी सीमा पर डामर की सडक राज0 सरकार द्वारा निर्माण शुदा है सि प्रार्थीगण आवागमन के काम मे लेते हैं उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि क सीमा का निश्चयीकरण होना उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि का दिनांक 21 व 24 दिसम्बर 1996 को सीमाज्ञान कराया था जो काफी समय निकल जाने के कारण साधनों की अत्यधिक आवाजाही होने के कारण सीमाओं को धूमिल होने के कारण सीमाज्ञान भ्रमित हो गया है तथा अब भी सीमाज्ञान कराने से सीमा चिन्ह साधनों की आवाजाही के कारण सीमा चिन्ह निशिचित नहीं हो सकेगें जिसके कारण निर्माण में सीमा निश्चयीकरण के अभाव में अकारण विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे बचने के लिए सीमा निश्चयीकरण कराया जाने योग्य है। प्रार्थीगण सं0 3 ने उक्त भूमि का सीमा निश्चयकीकरण उक्त दिनांक 21 व 24 दिसम्बर 1996 को कराया है को प्रार्थी सं0 2 को तथा प्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थी सं0 1 को विक्रय कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि का सीमा नियचकीकरण किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से सूचित कर सुनवाई का उचित अवसर दिया गया । अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी सं0 1 ने सीमा निश्चयकरण प्रार्थना पत्र पर कोई एतराज पेश नहीं किया तथा अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ख0नं0 4026/1, 4079/1, 4027/1, 4078, 4078/4372 का भी सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी...

... साथ में सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्थरगढी हेतु प्रस्तावित आराजी प्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर एग्रो प्रोसेस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है तथा दिनांक 21 व 24 दिसम्बर 96 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया गया था, सीमाज्ञान रिपोर्ट में तत्कालीन नायब तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी सीमाज्ञान रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि मौक पर नक्शे के मताबिक खेतो की सीमाएं नहीं बनी हुयी है इस कारण लम्बी दूरी की लाइनें मस्तकिल मुकामों के आधार पर जरीब चलाई जाकर सीमाओं का निर्धारत करवाया गया है। तहसीलदार शाहपुरा की सीमाज्ञान रिपोर्ट 18.5.2016 का भी अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि उक्त प्रस्तावित आराजी दो तहसील शाहपुरा व जमवारामगढ के काकड पर स्थित है तथा दोनों तहसीलों की सीमाओं में तनाजा होने के कारण नक्शा मिलान मौका नहीं हो सका है। इस प्रकार सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21 व 24 दिसम्बर 96 में भी खेतों की सीमाएं नहीं बनी हुयी है जिस कारण लम्बी दूरी की लाईनों से मस्तकिल मुकामों के आधार पर सीमाज्ञान करवाया गया था प्रार्थी इसी आधार पर पत्थरगढी चाहते है। अप्रार्थीगण भी उक्त आराजी के साथ अपनी खातेदारी भूमि का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहते है ।

अतः प्रार्थी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत सीमानिश्चयीकरण/पत्थरगढ़ी का इस यहां तक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशि किया जाता हैं कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 4014, 4015, 4016,4017, 4018/4335, 4026 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21 व 24 दिसम्बर 1996 के अनुसार तथा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 4026/1, 4079/1, 4027/1, 4078, 4078/4372 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूड़ी तहसील शाहपुरा की नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा करवाकर यदि उक्त आराजी ओवरलैप नहीं हो तथा राजस्व एवं मौका रिकार्ड की सही स्थिति होने पर मौके पर भूमि खाली होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान करावें । आदेश जारी ।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर